

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)
औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या : UPFS/2025/176424/GKP/GORAKHPUR/3712/CFO

दिनांक : 30-10-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **BDMV DEVELOPERS PRIVATE LIMITED** पता **ARAZI NO-121,123 K,124,125,126,127,BEGPUR URF MIYA BAZAR TAPPA KASBA PARGANA HAVEILY,GORAKHPUR** तहसील - **SADAR** प्लाट एरिया **4099.62 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **7335.97** (वर्गमीटर), ब्लाकों की संख्या **1** जिसमे

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बसेमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BDMV DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	6	2	24.53 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **BDMV DEVELOPERS PRIVATE LIMITED** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Mercantile** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **BDMV DEVELOPERS PRIVATE LIMITED** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : FSOकी संस्तुति के आधार पर निम्न उपबन्धों के अधीन निर्गत की जाती है।

1. आवेदन में प्रस्तुत मानचित्र के अतिरिक्त निर्माण कार्य अथवा अधिभोग परिवर्तन करने से पूर्व अलग से स्वीकृति ली जाये।
- 2-सेट बैक के सम्बन्ध में सत्ता प्राधिकारी का निर्णय मान्य होगा।
3. एन0बी0सी0-2016 के अनुसार वांछित अग्निसुरक्षा व्यवस्थाएँ निर्माण के समय से ही अधिष्ठापित की जायें।
- 4-प्रस्तावित भवन में एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था अधिष्ठापित कराने के उपरान्त उपभोग से पूर्व अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 5-प्रस्तावित भवन में जो स्टेयर केस ऊपरी तलो से बेसमेन्ट में जा रही है, उसे फायर/स्मोक चेक डोर लगाकर भूतल पर ही टर्मिनेट कर दिया जाये।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

SANTOSH KUMAR RAI

83D1545A2C132ED07DA6325B12C5E5094D437D60

04-11-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 04-11-2025

स्थान : GORAKHPUR

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.